

न्यायालय:-अमनदीप सिंह छाबड़ा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, जिला बालाघाट(म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक 53/13

संस्थित दिनांक-17.01.2013

F.No.234503000642013

म0प्र0 राज्य द्वारा, थाना परसवाड़ा
 जिला बालाघाट म0प्र0

.....अभियोजन

// विरुद्ध //

हिवराज उर्फ युवराज पिता चंदन बिसेन, उम्र-45 वर्ष,
 निवासी पिपरटोला थाना किरनापुर जिला बालाघाट म0प्र0।

.....आरोपी

::निर्णय::

{ दिनांक **04/09/2017** को घोषित }

1. आरोपी के विरुद्ध धारा-279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 14.12.2012 को दिन के 1:30 बजे ग्राम बघौली में रूपचंद हिर्वाने की बाड़ी थाना परसवाड़ा अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी.50एच.0458 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया तथा उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर सोहन को ठोस मारकर इस प्रकार मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता।

2. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी कन्हैयालाल ने थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी.50एच.0458 के चालक ने तेज रफ्तार व लापरवाही से ट्रक चलाकर उसके भाई सोहन गोंड को टक्कर मार दिया, जिससे वह फौत हो गया है। मर्ग क्रमांक 34/12 धारा 174 जा.फौ. कायम कर धारा-279, 304ए भा.दं0सं0 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। मर्ग जांच, शव पंचनामा कार्यवाही का मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया तथा मर्ग असल अपराध में शामिल कर विवेचना की गई। विवेचना दौरान आई साक्ष्य अनुसार घटना में प्रयुक्त वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी.50एच.0458 को आरोपी चालक के पेश करने पर जप्त कर आरोपी हिवराज उर्फ युवराज को गिरफ्तार कर जुम जमानती होने से जमानत-मुचलका पर रिहा किया गया। जप्तशुदा ट्रक मय कागजात वाहन मालिक को सुपुर्दनामा पर दिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र क्रमांक 01/13 दिनांक 06.01.2013 तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्त ने निर्णय के चरण एक में वर्णित आरोपों को अस्वीकार कर अपने परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. में यह बचाव लिया है कि वह निर्दोष हैं तथा उसे झूठा फंसाया गया है कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं की है।

4. प्रकरण के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

(1) क्या आरोपी ने दिनांक 14.12.2012 को दिन के 1:30 बजे ग्राम बघोली में रूपचंद हिर्वाणे की बाड़ी थाना परसवाड़ा अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी.50एच.0458 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

(2) क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर सोहन को ठोस मारकर इस प्रकार मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता ?

::सकारण निष्कर्ष::

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 तथा 02

साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने तथा सुविधा हेतु उक्त सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

5. साक्षी कन्हैयालाल अ.सा.01 का कहना है कि वह मृतक सोहनलाल को जानता है, जो उसका रिश्ते में भाई था। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग 8-9 माह पूर्व की है। घटना दिनांक को जगदीश ने उसके खलियान में आकर उसे बताया था कि सोहनलाल का ट्रक से एक्सीडेंट हो गया है, तब वह घटनास्थल पर गया था और देखा कि सोहनलाल घायल अवस्था में था और बोल नहीं रहा था। जिस वाहन से सोहनलाल की दुर्घटना हुई थी, वह वाहन बघोली सोसायटी में खड़ा था, तब उसने जाकर ट्रक को देखा था। ट्रक का नंबर उसे ध्यान नहीं है। उसने पुलिस रिपोर्ट में ट्रक का नंबर बताया था। उक्त दुर्घटना ट्रक चालक की गलती से हुई थी। उसने मृतक सोहनलाल की मृत्यु की सूचना पुलिस थाना परसवाड़ा में दिया था, जो प्र.पी.01 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने प्र.पी.02 की रिपोर्ट की थी, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष प्र.पी.03 का नजरी-नक्शा बनाया था, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष पंचायतनामा प्र.पी.04 एवं नक्शा पंचायतनामा प्र.पी.05 तैयार किया था, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

6. साक्षी कन्हैयालाल अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष इस सुझाव को स्वीकार किया कि वह घटना के समय उपस्थित नहीं था, इसलिये नहीं बता सकता कि घटना किसकी गलती से हुई थी। वह नहीं बता सकता कि उक्त दुर्घटना किसकी गलती से हुई थी, क्योंकि वह घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था। वह नहीं बता सकता कि घटना कितने समय की है। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसे जगदीश ने बताया था, तब वह घटनास्थल पर जाकर देखा था। उसने घटनास्थल पर ट्रक चालक को नहीं देखा था। यह अस्वीकार किया कि उसने पुलिस को रिपोर्ट करते समय ट्रक का नंबर नहीं बताया था। यह स्वीकार किया कि उसने प्र.पी.03 पर हस्ताक्षर थाने में किया

था, किन्तु यह अस्वीकार किया कि उसने सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर थाने में किया था। यह अस्वीकार किया कि उसे यहाँ पता लगा था कि मृतक सोहनलाल शराब पीकर रोड के किनारे लेटा हुआ था तथा उसने पुलिस को झूठी रिपोर्ट दर्ज कराकर झूठे बयान दिया था।

7. साक्षी रूपचंद अ.सा.02 का कहना है कि वह मृतक सोहनलाल को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से पिछले वर्ष दिसंबर माह की है। मृतक सोहनलाल का एक्सीडेंट का पता लगने पर वह घटनास्थल पर गया था। मृतक सोहनलाल घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। ट्रक का चालक मृतक सोहनलाल को पानी पिला रहा था, उस समय उसने ट्रक के चालक को देखा था, जो आरोपी युवराज था। फिर आरोपी ट्रक को लेकर बघोली सोसायटी में चला गया था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया कि वह घटना के समय वहाँ पर उपस्थित नहीं था और घटना के कुछ समय बाद गया था। घटनास्थल पर नहीं होने के कारण वह नहीं बता सकता कि ट्रक कैसे चल रहा था और दुर्घटना किसकी गलती से हुई थी। यह अस्वीकार किया कि उसके आने के पूर्व ही ट्रक घटनास्थल से चला गया था और उसने आरोपी चालक को नहीं देखा था। यह स्वीकार किया कि ट्रक का नंबर उसे नहीं मालूम था, इसलिये पुलिस कथन में नंबर नहीं बताया था और उसके पुलिस कथन में ट्रक का नंबर लिखा हो तो वह गलत है। उसने यह बात सुना था कि मृतक सोहनलाल शराब पीकर रोड के किनारे लेटा हुआ था। यह अस्वीकार किया कि घटनास्थल पर पैरा था और उसी पर लेटा हुआ था। यह अस्वीकार किया कि वह घटनास्थल पर गया ही नहीं था और ना ही उसने चालक को देखा था तथा मृतक उसके गांव का होने से वह झूठे कथन कर रहा है।

8. साक्षी नंदकिशोर अ.सा.03 का कहना है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। मृतक सोहनसिंह को जानता है, जो उसके गांव का है। घटना उसके साक्ष्य तिथि से एक साल पुरानी ग्राम बघोली की धान गहनी वाली रोड दिन के समय की है। आरोपी ने ट्रक से मृतक सोहन सिंह को टक्कर मार दिया था, जिससे सोहनसिंह की मृत्यु हो गई थी। उक्त दुर्घटना आरोपी की गलती से हुई थी। उसे दुर्घटना कारित करने वाले ट्रक का नंबर याद नहीं है। उसने पुलिस को बयान दिया था। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि आरोपी ट्रक को तेजी से चलाकर लाया और सोहनसिंह को टक्कर मार दिया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने ट्रक कौन चला रहा था नहीं देखा था और जिस समय घटना हुई थी, उस समय वह अपने घर पर था। उसके घर से रोड काफी दूर है तथा उसने घटना नहीं देखा था। उन लोग घटना के बाद घटनास्थल पर गये थे। उसने घटना नहीं देखी इसलिये वह नहीं बता सकता कि गाड़ी कैसे चल रही थी और किसकी गलती से घटना हुई थी। मृतक सोहनसिंह रोड के किनारे पैरा ढक कर सो गया था और दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिये दुर्घटना घटी थी, इसी कारण से दुर्घटना में आरोपी की कोई गलती नहीं थी। सोहन रोड पर पैरा ढककर नहीं सोता तो दुर्घटना नहीं होती।

9. साक्षी किशोर अ.सा.04 का कहना है कि वह आरोपी को नहीं जानता है तथा मृतक सोहनसिंह को जानता है, जो उसके ही गांव का है। घटना उसके साक्ष्य तिथि से एक वर्ष पुरानी है। पुलिस को घटना के संबंध में उसने बयान दिया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है और उसने घटना होते हुये नहीं देखा था। पुलिस ने उससे पूछताछ की थी तो उसने बताया था कि उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है।

10. साक्षी रमेश अ.सा.05 का कहना है कि वह आरोपी को नहीं जानता है तथा मृतक सोहन को जानता है। घटना उसके साक्ष्य तिथि से लगभग दो वर्ष पुरानी ग्राम पंचायत बघोली की सुबह 8-9 बजे की है। उसे सोसायटी भवन में आकर बताया गया कि सोहन का ट्रक से एक्सीडेंट हो गया है, तब उसने वहाँ जाकर देखा था, तब सोहन जिन्दा था और उसे पानी पिलाया। उस समय ट्रक एक्सीडेंट करके वहाँ से चला गया था। उसे आज ट्रक का नंबर याद नहीं है। सोहन की पसली पर चोट थी। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि घटना दिनांक 14.12.2012 के दिन के 1:30 बजे की है। यह स्वीकार किया कि उन लोग घटनास्थल पर पहुँचे तो ट्रक वाला भीड़ देखकर भाग गया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि दुर्घटना उसने देखी नहीं थी और वह घटना के बाद गया था, इसलिये नहीं बता सकता कि दुर्घटना कैसे कारित हुई थी। जब वह पहुँचा था तो वहाँ ट्रक चालक और ट्रक नहीं था। वह नहीं बता सकता कि दुर्घटना कैसे और किसने कारित की थी।

11. साक्षी अमीरचंद अ.सा.06 का कहना है कि वह आरोपी एवं मृतक सोहन को जानता है। घटना उसके साक्ष्य तिथि से लगभग दो वर्ष पुरानी ग्राम पंचायत भवन बघोली के सामने सुबह के 10-11 बजे की है। उसका काम ट्रक में धान लोड कराकर भेजना था। उसके द्वारा ट्रक में धान लोड कराकर आरोपी युवराज को रवाना किया था, उसके आधे घंटे बाद उसे सूचना मिली कि धान लोड वाले ट्रक से सोहन नाम वाले व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है। वह घटनास्थल गया था और देखा तो सोहनसिंह बोल रहा था, उसने उसे पूछा तो उसने बताया कि धान लोड वाले ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो गया है। उस समय वहाँ पर ट्रक मौजूद नहीं था। घटनास्थल पर अन्य लोग भी उपस्थित थे। उसके बाद वह सोसायटी वापस आ गया था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया कि जब वह घटनास्थल पहुँचा था, तब आरोपी ट्रक लेकर भाग रहा था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने दुर्घटना नहीं देखी थी और वह घटना के लगभग आधा घंटे के बाद गया था। वह जब वहाँ गया था, तब वहाँ ट्रक और ट्रक चालक नहीं था। दुर्घटना कैसे हुई थी उसे नहीं मालूम। दुर्घटना किसके द्वारा कारित की गई थी उसे नहीं मालूम। उसने ट्रक को लेकर भागते हुए नहीं देखा था।

12. साक्षी जगदीश गजावे अ.सा.07 का कहना है कि वह आरोपी को

जानता है। मृतक कन्हैयालाल को नहीं जानता है। घटना उसके साक्ष्य तिथि से लगभग दो वर्ष पूर्व ग्राम बघोली में साईं मंदिर के पास की है। घटना दिनांक को वह दस चका ट्रक में धान लोड करवा कर चला गया था और जैसे ही वह साईं मंदिर के पास पहुँचा, तो उसने देखा कि ट्रक रिवर्स हो रहा था, उस समय ट्रक को आरोपी चला रहा था। उसने सोहनसिंह को उलटी करते हुए अवस्था में ट्रक के दो-तीन फीट की दूरी पर देखा था। उसने सोहनसिंह को उठाया और उससे पूछा कि कैसा लग रहा है, तो उसने कहा कि ठीक लग रहा है, फिर उसने सोहनसिंह को रोड से उठाकर पंचायत भवन में लेकर गये, उसके बाद ट्रक वहाँ से चला गया था। सोहनसिंह की एक दो-घंटे बाद मृत्यु हो गई। उसने मृतक सोहनसिंह को पसली साईड में चोट लगी हुई देखा था। उक्त चोट ट्रक के चके से आई थी, क्योंकि उसकी ट्रक से टक्कर हो गई थी। उक्त दुर्घटना किसकी लापरवाही से हुई थी, उसे जानकारी नहीं है। पुलिस ने बघोली में उससे पूछताछ कर बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि उक्त दुर्घटना आरोपी की लापरवाही से ही घटित हुई थी तथा उक्त दुर्घटना ट्रक के रिवर्स होते समय ही घटित होना उसने देखा था। उसने पुलिस को प्र.पी.06 के कथन में उक्त दुर्घटना ड्रायवर के द्वारा तेज रफ्तार और लापरवाही से चलाने के कारण एक्सीडेंट होने वाली बात बताई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कथन किया कि वह पहले सोसायटी में काम करता था। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि उसने ट्रक को लोड करवाया और खाना खाने चला गया था और खाना खाने के लिये गया था तो लगभग एक घंटे के बाद वापस आया था। यह अस्वीकार किया कि ट्रक लोड करवाने के बाद चला गया था। यह स्वीकार किया कि घटना होते हुए उसने नहीं देखा था। साक्षी के अनुसार ट्रक को रिवर्स होते देखा था। वह नहीं बता सकता कि रिवर्स होने के पूर्व ही दुर्घटना हो गई थी या नहीं। यह स्वीकार किया कि जब वह गया था तो सोहन सही हालत में था। यह अस्वीकार किया कि वहाँ पर लोग कह रहे थे कि सोहन प्यारा उड़कर रोड पर सोया हुआ था। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसने घटना नहीं देखी थी, इसलिये वह नहीं बता सकता कि दुर्घटना कैसे और किसकी लापरवाही से हुई थी।

13. साक्षी अब्दुल सत्तार कुरैशी अ.सा.10 का कहना है कि वह दिनांक 14.12.12 को बघोली समिति में लेखापाल के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसने ट्रक क्रमांक एम.पी.50/एच.-0458 में लोड होने के बाद मेमो ट्रक ड्रायवर युवराज को डिलिवरी मेमो दिया था, जो प्र.पी.10 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा बी से बी भाग पर आरोपी युवराज के हस्ताक्षर हैं। इसके अलावा उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसे दुर्घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। खरीदी का काम रतनलाल बिसेन देखते थे उनकी अनुपस्थिति में उसके द्वारा डिलिवरी मेमो में हस्ताक्षर किये गये थे तथा माल उसके समक्ष लोड नहीं हुआ था और ना ही उसने ट्रक को देखा था।

14. साक्षी डॉ० सुनील सिंह अ.सा.11 का कहना है कि वह दिनांक 15.12.2012 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, परसवाड़ा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसके समक्ष मृतक सोहनसिंह उम्र-45 वर्ष जाति गोंड को शव परीक्षण के लिये आरक्षक तेजराम यादव क्रमांक 411 द्वारा लाया गया था। उक्त दिनांक को उसके द्वारा 1:30 बजे मृतक का शव परीक्षण किया गया था, जिसमें उसने पाया था कि मृतक का शरीर चित्त अवस्था में था, आंख की पुतलियाँ फैली हुई थी, सिर बाईं तरफ झुका हुआ था, आंख बंद थी, मुख भी बंद था एवं शरीर में अकड़न मौजूद थी। उसके द्वारा शव के बाह्य परीक्षण किया गया था, जिसमें उसने मृतक के शरीर पर बाहरी चोटें पाई गई थी जो पांच इंच गुणा दो इंच बांये हाथ के कोहनी पर मौजूद थी, काफी मात्रा में रक्तस्राव हो चुका था, उक्त लगी चोट पर चमड़ी नीले रंग की पाई गई एवं बांये हाथ की ह्यूमरस बोन अस्थिभंग होना पाया था। दाहिने हाथ की भुजा की डेढ़ गुणा एक इंच चमड़ी कटी हुई थी एवं उससे रक्तस्राव होना प्रतीत हो रहा था। मृतक का हिपबोन अस्थिभंग होना पाया था। शव का आंतरिक परीक्षण करने पर इन्साईड वुंड एवं स्टेप वुंड मृतक के उदर पर एवं सीने पर तथा पसलियों नंबर 03, नंबर 04 एवं नंबर 05 अस्थिभंग पाई गई थी एवं पेट का बाहरी आवरण फटा हुआ था एवं ब्लड वेशल्स रैचर्ड(फटना) पाये गये थे, जो कि शरीर के व्हाइटल पाटर्न्स, बांये तरफ की किडनी, बांये तरफ का फेफड़ा एवं स्पलीन(प्लीहा) फटे हुये थे एवं काफी मात्रा में रक्तस्राव पूरे पेट के अंदर पाया गया था। पेट एवं उसके भीतर की वस्तुएँ भोजन मौजूद था, छोटी आंत में मल मौजूद था, बड़ी आंत में लिक्विड मटेरियल मौजूद था तथा मूत्राशय खाली था। शव परीक्षण प्रतिवेदन में खोपड़ी, कपाल, कशेरुका, सिल्लो, मस्तिष्क, मेरुरज्जू, कंठ व श्वास नली, हृदयवाहिका सभी पेल थी। उसके मतानुसार मृतक की मृत्यु सिनकापीशॉप एवं शरीर पर मौजूद व्हाइटल पाटर्न्स, बाईं तरफ की किडनी, स्पलीन, फेफड़ा के फटने के कारण एवं उससे रक्तस्राव होने से मृत्यु होना प्रतीत होता है। मृतक की मृत्यु उसके शव परीक्षण से 10 से 12 घंटे के बीच की थी। उसकी रिपोर्ट प्र.पी.11 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि इस प्रकार की चोटें गिरने से आ सकती हैं और उससे मृत्यु कारित हो सकती है।

15. साक्षी थानेश्वर सोनवाने अ.सा.08 का कहना है कि उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। उसने किसी वाहन का परीक्षण नहीं किया था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि उसने दिनांक 03.01.2013 को परसवाड़ा के थाने के अपराध में जप्त वाहन क्रमांक एम.पी.50/एच.0458 का मैकेनिकल परीक्षण किया था, परंतु वाहन परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.07 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी के अनुसार पुलिसवालों ने उसे थाने पर बुलाकर दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने को कहा था और उसका ड्रायविंग लाईसेंस मांगा था, जिसके बाद उसने दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिया था। साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि उसका आरोपी से समझौता हो गया है, इसलिए वह असत्य कथन कर रहा है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसने

जिन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किया था, उसे पढ़कर नहीं देखा था और वह पुलिस विभाग के पटले जी का वाहन चलाता था, इसलिए उनके कहने पर दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिया था।

16. साक्षी पुष्पेन्द्रसिंह पटले अ.सा.09 का कहना है कि वह दिनांक 14.12.12 को थाना परसवाड़ा में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को अपराध क्र 96/12 मर्ग क्र 34/12 की डायरी अग्रिम विवेचना हेतु प्राप्त होने पर घटनास्थल रवाना हुआ। घटनास्थल बघोली परसवाड़ा पहुंचकर मर्ग पंचनामा कार्यवाही साक्षी कन्हैया गोंड, टीकाराम गजभिये, धानेन्द्र बिसेन, मुरलीधर बिसेन एवं गंगाबाई गोंड की उपस्थिति में किया था। पंचनामा कार्यवाही के बाद मृतक सोहन पिता धरमसिंह गोंड का शव आरक्षक 411 तेजराम यादव को देकर पोस्ट मार्टम कराने हेतु रवाना किया था। बाद अपराध विवेचना में संलग्न हुआ। घटनास्थल का नजरी नक्शा गवाह कन्हैयालाल गोंड की निशांदाही पर तैयार किया था, जो प्र.पी.03 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही गवाह कन्हैया, रूपचंद, नंदकिशोर, दिनांक 16.12.12 को गवाह रमेश, अमीरचंद, जगदीश, अब्दुल सत्तार, दिनांक 26.12.12 को स्नेहांशु अवस्थी एवं दिनांक 03.01.13 को गंगाबाई के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था। मामले में घटना कारित करने वाले ट्रक क्रमांक एम.पी.50/एच.-0458 को एंव ट्रक का रजिस्ट्रेशन, परमिट, इंशोरेंस, फिटनेस एवं आरोपी चालक का ड्रायविंग लाईसेंस दिनांक 26.12.12 को जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.08 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपी हिवराज बिसेन को गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्र प्र.पी.09 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त जप्तशुदा वाहन का उसके द्वारा मैकेनिकल परीक्षण करवाया गया था। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत उसके द्वारा अंतिम प्रतिवेदन थाना प्रभारी को प्रस्तुत किया जाकर न्यायालय को प्रेषित किया गया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी का कथन किया कि घटना दिनांक 14.12.12 की है। रिपोर्ट दिनांक 14.12.12 को लगभग चार बजे दर्ज की गई थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट उसके द्वारा लेख नहीं की गई है। घटना दिनांक को ही उसे कायमी के बाद विवेचना हेतु डायरी प्राप्त हो गई थी। डायरी प्राप्त होने के 20-25 मिनट बाद वह घटनास्थल पर पहुंच गया था। उसने कन्हैयालाल गोंड की निशांदाही पर मौकानक्शा तैयार किया है। उसके द्वारा जो नजरी नक्शा तैयार किया गया है, उसमें मेन रोड से घटनास्थल की दूरी का लेख नहीं है। मौकानक्शा पर उसने उपस्थित पंचों के हस्ताक्षर नहीं लिये हैं। साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया कि उसने प्र.पी.03 का मौकानक्शा थाने में ही बैठकर तैयार किया था, इसलिये मेन रोड से घटनास्थल की दूरी दर्ज नहीं किया है और ना ही किसी साक्षी के उस पर हस्ताक्षर हैं। साक्षी कन्हैया, रूपचंद, नंदकिशोर, जगदीश, गंगाबाई एवं स्नेहांशु के कथन उसने अपने मन से लेख किया था। यदि साक्षियों ने न्यायालय के समक्ष घटना के बारे में जानकारी न होने का कथन किया हो तो वह कारण नहीं बता सकता। साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया कि आरोपी युवराज द्वारा घटना कारित

नहीं की गई थी और उसने आरोपी के विरुद्ध झूठा प्रकरण तैयार किया है। मृतक शराब पीकर रोड़ किनारे पड़ा था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई थी।

17. उपरोक्त साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि घटना दिनांक को दुर्घटना में सोहन की मृत्यु हुई थी, परंतु उक्त दुर्घटना आरोपी की लापरवाही अथवा उपेक्षा से कारित हुई थी, इस संबंध में साक्ष्य का पूर्णतः अभाव है। घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है तथा सभी साक्षियों ने अभियोजन कहानी से पूर्णतः इंकार किया है। साक्ष्य के अवलोकन पर यह दर्शित होता है कि किसी भी साक्षी ने घटना को नहीं देखा है। अपराध विधि शास्त्र अभियोजन से यह अपेक्षा करता है कि वह आरोपी को संदेह से परे प्रमाणित करें। सांविधिक अपवादों को छोड़कर अपराध की उपधारणा नहीं की जा सकती। “परिस्थितियां स्वयं प्रमाण है” के सिद्धांत के आधार पर उपेक्षा व उतावलेपन की उपधारणा नहीं की जा सकती। अभियोजन के द्वारा इस संबंध में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है कि आरोपी द्वारा अपने वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मृतक सोहन की मृत्यु कारित की गयी है। मात्र पुलिस विवेचना के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त द्वारा अपने वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर उक्त घटना कारित की गयी हो इस संबंध में न्याय दृष्टांत—Bijuli Swain Vs State of Orissa 1981 Cr.LJ 583(Ori) अवलोकनीय है।

18. अतः अभियुक्त हिवराज उर्फ युवराज को भा.दं०सं० की धारा-279, 304ए के तहत दण्डनीय अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

19. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किय जाते हैं।

20. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी.50एच.0458 वाहन के पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अवधि के पश्चात वाहन स्वामी के पक्ष में उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।

21. आरोपी विवेचना या विचारण के दौरान अभिरक्षा में नहीं रहा है, इस संबंध में धारा 428 जा०फौ० का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

सही /—

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

सही /—

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)